INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 7

भारत + विश्व + राजस्थान की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp Link- https://wa.link/uwc5lp

Online Order Link- https://bit.ly/3X6MGue

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	भारतीय संविधान	
1.	**संविधान निर्माण** • राजव्यवस्था का परिचय • भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना • ऐतिहासिक पृष्ठाभूमि • संविधान सभा • संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति	1
2.	**भारतीय संविधान की विशेषताएं** • विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या • भारतीय संविधान के स्त्रोत • सम्पूर्ण अनुच्छेद एवं भाग	15
3.	**संविधान संशोधन** • भारत में पंचायती राजव्यवस्था • मूल ढांचा	30
4.	**उद्देशिका (प्रस्तावना)** • संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु • प्रस्तावना का महत्त्व • मौलिक अधिकार • राज्य के नीति निदेशक तत्व • संघ एवं इसका क्षेत्र ○ राष्ट्रपति ○ उपराष्ट्रपति	39
5.	**प्रधानमंत्री एवं मंत्रीपरिषद्** • प्रधानमंत्री की नियुक्ति • प्रधानमंत्री की शक्तियां • प्रधानमंत्री की भूमिका	95
6.	**भारतीय संसद** • लोकसभा • राज्यसभा • संसदीय समितियों का महत्व • केंद्र राज्य संबंध • उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन • उच्चतम न्यायालय	103

7.	**नीति आयोग** • नीति आयोग की संरचना • नीति आयोग के उद्देश्य	139
8.	**राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग** • आयोग का गठन • आयोग के प्रमुख कार्य	141
9.	**राष्ट्रीय महिला आयोग** • आयोग की संरचना • प्रमुख कार्य एवं अधिकार	143
10.	**राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** • आयोग की संरचना • प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य	144
11.	**लोकनीति** • लोकनीति की मुख्य विशेषताएँ • लोकनीति निर्माण की प्रक्रिया	145
12.	**नागरिक चार्टर** • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	146
13.	**लोकपाल** • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • लोकपाल की संरचना • लोकपाल की शक्तियां	148
14.	**केन्द्रीय सतर्कता आयोग** • केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 • सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2004	151
15.	**केन्द्रीय सचूना आयोग** • सचूना आयोग अधिकार • केन्द्रीय सचूना आयोग की संरचना • केन्द्रीय सचूना आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य	156
16.	**लोक सेवा आयोग** • लोक सेवा आयोग के कार्य	161
	भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य	165
17.	**राजनीतिक गत्यात्मकताएं** • राजनीतिक और जाति का परस्पर संबंध • राजनीति में भूमिका • राजनीति दल एवं मतदान व्यवहार गठबंधन सरकारें	173

	• मतदान व्यवहार, निर्वाचन सुधार एवं भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की कार्य प्रणाली • भारतीय राजनीति में विकसित समकालीन प्रतिमान	
	राजस्थान की राजव्यवस्था	
1.	**राज्य की राजनीतिक व्यवस्था** • राज्य की परिभाषा	196
2.	**राज्यपाल** • राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिशें • राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ	197
3.	**मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्** • मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ • राज्य मंत्रिपरिषद्	204
4.	**राज्य विधान मण्डल व विधानसभा** • विधान परिषद् एवं सदस्यों का कार्यकाल • विधानसभा की शक्तियाँ • विधान परिषद् की शक्तियाँ • राजस्थान विधानसभा में समितियां	212
5.	**उच्च न्यायालय** • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार	221
6.	**महाधिवक्ता** • मुख्य कार्य और शक्तियाँ	228
7.	**मुख्य सचिव** • मुख्य कार्य और शक्तियाँ	229
8.	**राजस्थान राज्य सचिवालय** • सचिवालय का मुख्य कार्य	231
9.	**विभिन्न विभागों के निदेशालय** • निदेशालय की भूमिका और संरचना	232
10.	**संभागीय आयुक्त** • संभागीय आयुक्त व्यवस्था का विकास • संभागीय आयुक्त के कार्य एवं भूमिका	233
11.	**पुलिस अधीक्षक** • शक्तियाँ और अधिकार	234
12.	**जिला प्रशासन** • जिला प्रशासन के कार्य • जिला कलेक्टर	235

	• *तहसीलदार* • *पटवारी*	
13.	***राजस्थान लोक सेवा आयोग***	**240**
14.	***राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग*** • *मुख्य निर्वाचन आयुक्त*	**244**
15.	***राज्य सूचना आयोग*** • *आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ*	**245**
16.	***राजस्थान राज्य महिला आयोग***	**249**
17.	***राजस्व मंडल***	**251**
18.	***लोकायुक्त*** • *राजस्थान में लोकायुक्त*	**252**
19.	***राज्य मानवाधिकार*** • *आयोग का गठन* • *आयोग की सदस्यों की नियुक्ति* • *आयोग के कार्य* • *आयोग की शक्तियां*	**256**
20.	***स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं*** • *पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित राजस्थान में गठित समितियाँ*	**258**
	विश्व राजनीति	
1.	***शीत युद्धोत्तर*** • *शीत युद्ध की रणनीतियाँ* • *शीत युद्ध की उत्पत्ति* • *शीत युद्ध का विकास* • *शीत युद्ध की समाप्ति*	**277**
2.	***भारत की विदेश नीति*** • *प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएँ* • *भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास* • *राष्ट्रसंघ में भारत* • *भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ* • *विश्व शांति और संयुक्त राष्ट्र में विश्वास* • *भारत के साथ पड़ोसी देशों का संबंध* • *सुरक्षा परिषद्* • *विश्व व्यापार संगठन*	**290**
3.	***जलवायु एवं हरित राजनीती में भारत का नेतृत्व***	**332**
4.	***भारत की विदेश नीति में समकालीन रणनीतिक उपक्रम*** • *प्रमुख समकालीन रणनीतिक उपक्रम*	**340**

अध्याय – I

संविधान निर्माण

राजव्यवस्था का परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।** राज्य वह इकाई है जिसमे लोगो का एक समुदाय एक निश्चित भू – भाग पर निवास करता है

वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।

उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

राज्य के तत्व :-

- भू-भाग
- जनसंख्या
- सरकार
- संप्रभुता

भू-भाग :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।

जनसंख्या :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,**जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

सरकार :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।**

संप्रभुता या प्रभुसत्ता :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग सप्तांग सिद्धांत- दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र, राज्य, क्षेत्र

राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत-

1. **दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत (Divine Origin Theory)**

यह राज्य की उत्पत्ति का सबसे **प्राचीन सिद्धांत** है। इसके अनुसार राज्य मानवीय प्रयास का फल नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्थान

मुख्य मान्यता: राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति नहीं।प्राचीन भारत (जैसे मनुस्मृति) और मध्यकालीन यूरोप में यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था।

2. **शक्ति सिद्धांत (Force Theory)**

- इस सिद्धांत का मानना है कि "शक्ति ही अधिकार है" (Might is Right)। राज्य का जन्म युद्ध और बल प्रयोग के माध्यम से हुआ है।
- शक्तिशाली व्यक्तियों या कबीलों ने निर्बल समूहों को हराकर अपने अधीन कर लिया। इस प्रक्रिया में एक विजेता 'राजा' बना और विजित क्षेत्र 'राज्य'।
- **विचारक:** ह्यूम, ओपेनहाइमर और लुडविग गम्पलोविज़ इसके समर्थक रहे हैं।

3. **सामाजिक समझौता सिद्धांत (Social Contract Theory)**

- यह सिद्धांत मानता है कि राज्य न तो ईश्वर ने बनाया है और न ही यह केवल शक्ति का परिणाम है, बल्कि यह व्यक्तियों के बीच हुए एक **स्वैच्छिक समझौते** की उपज है।

4. **पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत (Kinship Theories)**

- ये सिद्धांत राज्य का मूल आधार **रक्त संबंध** (Blood Relation) और परिवार को मानते हैं।
- **पितृसत्तात्मक सिद्धांत:** सर हेनरी मेन के अनुसार, परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष मुखिया होता था। परिवारों से कुल, कुलों से कबीले और अंततः राज्य बना।
- **मातृसत्तात्मक सिद्धांत:** मॉर्गन और जेन्क्स जैसे विचारकों का मानना है कि आदिम काल में वंश परंपरा माता के नाम से चलती थी, जिससे धीरे-धीरे सामाजिक और राजनीतिक संगठन विकसित हुए।

शासन के अंग

- **विधायिका** (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)
- **कार्यपालिका** (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)
- **न्यायपालिका** (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -

कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।

कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है। यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।

अमेरिका जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं**। इसे "**शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत**" कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं।

जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सके। **भारतीय न्यायपालिका** को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें।

शासन प्रणालियों के विभिन्न

प्रकार - 1

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं।

प्रकार - 2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है। दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-

एकात्मक प्रणाली
संघात्मक प्रणाली
परिसंघात्मक प्रणाली

विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-

संसदीय प्रणाली
अध्यक्षीय प्रणाली

- **भारत की प्रणाली** :-
- भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी।
- 1990 के दशक में भारत में केंद्र स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस काल में लगातार गठबंधन सरकारें बनीं और कई सरकारें अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। इसके कारण कुछ विद्वानों और राजनेताओं ने यह मत व्यक्त किया कि स्थिर शासन के लिए भारत को अध्यक्षीय प्रणाली अपनानी चाहिए।
- किन्तु समय के साथ राजनीतिक दलों में सहयोग और गठबंधन की समझ विकसित हुई तथा स्थिर सरकारें बनने लगीं। इससे स्पष्ट हो गया कि अस्थिरता का कारण संसदीय प्रणाली नहीं, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं।
- अतः यह स्वीकार किया गया कि भारत जैसे बहुविध (बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक) समाज के लिए उत्तरदायी और लचीली संसदीय प्रणाली ही अधिक उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं।
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कहा जाता है।**
- संघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है। संघात्मक से तात्पर्य है संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य दोनों संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च होते हैं
- **एकात्मक प्रणाली** को **'विनाशी राज्यों** का **अविनाशी संगठन'** कहा जाता है।
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है। **संसदीय प्रणाली में विधायिका प्रायः एकसदनीय या द्विसदनीय हो सकती है।**

संविधान सभा का गठन और पहली बैठक

संविधान सभा की कुल प्रस्तावित सदस्य-संख्या 389 **(प्रांतीय विधानसभाओं से, मुख्य आयुक्त प्रांतों से, और रियासतों से) बताई जाती है।**

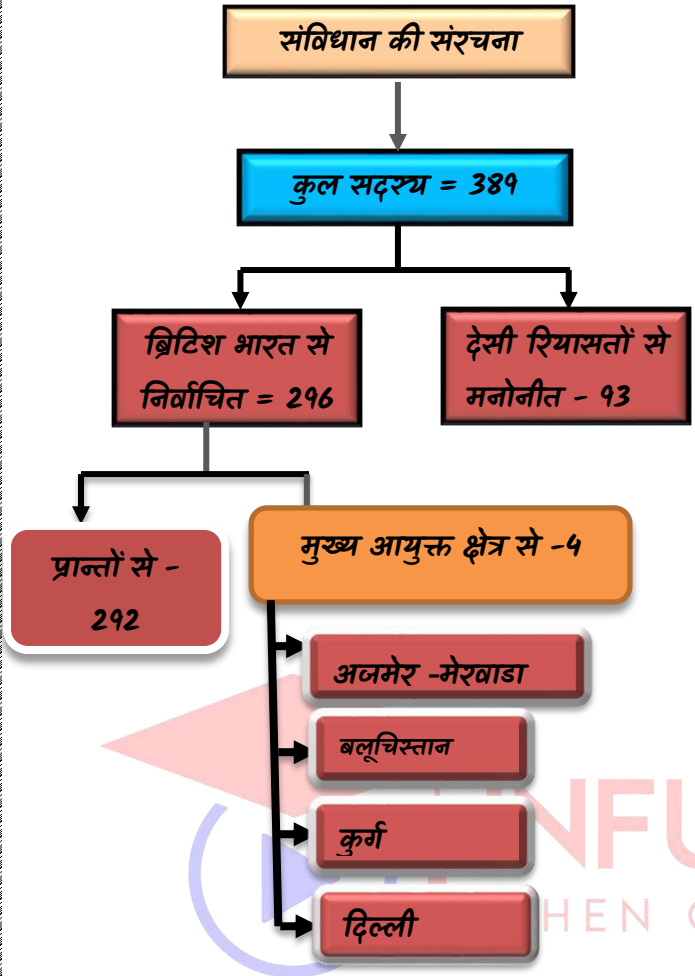

सीटों का आवंटन और चुनाव प्रणाली

- **जनसंख्या का आधार:** मोटे तौर पर प्रति **10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट** आवंटित की गई थी।
- **सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकरण:** ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को तीन समुदायों में बांटा गया था— **मुस्लिम, सिख और सामान्य** (मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी)।
- **अप्रत्यक्ष चुनाव:** संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं किया गया था। इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं (Provincial Assemblies) के सदस्यों द्वारा **'एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व'** (Proportional Representation by Single Transferable Vote) प्रणाली से हुआ था।
- भारत की **संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946** में हुआ था।
- **दलों के अनुसार चुनाव परिणाम (ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की 296 सीटें)**

दल	-	जीती सीटें
कांग्रेस	-	208
मुस्लिम लीग	-	73
अन्य (अकाली, यूनियनिस्ट, स्वतंत्र आदि)	-	15
कुल	-	296

महात्मा गांधी: गांधीजी ने स्वयं को संविधान सभा की सदस्यता और उसकी औपचारिक कार्यवाही से दूर रखा। उन्होंने संविधान सभा में भाग नही लिया

मोहम्मद अली जिन्ना: वे भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं बने (विभाजन के बाद वे पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष बने)।

MR जयकर ने BR आंबेडकर के लिए संविधान सभा से त्याग पत्र दिया।

संविधान सभा में कुल **15 महिलाएं** शामिल थीं। इन महिलाओं ने भारत के संविधान को आकार देने, विशेषकर मौलिक अधिकारों, महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रावधानों को जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन 15 निर्वाचित महिलाओं के नाम और उनकी कुछ विशेष उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

संविधान सभा की 15 महिला सदस्य

- **अम्मू स्वामीनाथन:** इन्होंने मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण बहस की थी।
- **एनी मस्करीन:** ये त्रावणकोर (केरल) से थीं और रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महत्वपूर्ण नेता थीं।देसी रियासतों की पहली महिला प्रतिनिधि
- **बेगम ऐज़ाज़ रसूल:** ये संविधान सभा की **एकमात्र मुस्लिम महिला** सदस्य थीं। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorate) के विचार का विरोध किया था।
- **दक्षायणी वेलायुधन:** ये सभा की **एकमात्र दलित महिला** सदस्य थीं। इन्होंने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी।
- **जी. दुर्गाबाई देशमुख:** इन्हें 'मदर ऑफ सोशल वर्क' कहा जाता है। इन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों पर काम किया।
- **हंसा जीवराज मेहता:** इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में 'All men are born free and equal' को बदलकर **'All human beings are born free and equal'** करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
- **कमला चौधरी:** ये एक प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थीं।
- **लीला रॉय:** बंगाल से निर्वाचित, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी थीं और विभाजन के समय शरणार्थियों के अधिकारों के लिए सक्रिय रहीं।

संघीय ढाँचा

केंद्र के विषय:

रक्षा
विदेश नीति
संचार
संबंधित वित्त

प्रांतीय समूह

हिंदू बहुल प्रांत
उत्तर-पश्चिम मुस्लिम क्षेत्र
बंगाल-असम

संविधान सभा

कुल सदस्य: 389
चुनाव: अप्रत्यक्ष
पद्धति: STV
समुदाय: सामान्य, मुस्लिम, सिख

अंतरिम सरकार

गठन: 2 सितम्बर 1946
नेतृत्व: जवाहरलाल नेहरू

परिणाम

संविधान सभा का गठन
भारत का संविधान निर्माण प्रारम्भ
अंततः स्वतंत्रता (1947)

ट्रिक

Cabinet Mission = Union + Grouping + Constitution Assembly + Interim Government

निर्वाचन पद्धति : अप्रत्यक्ष चुनाव
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति (STV) द्वारा

..

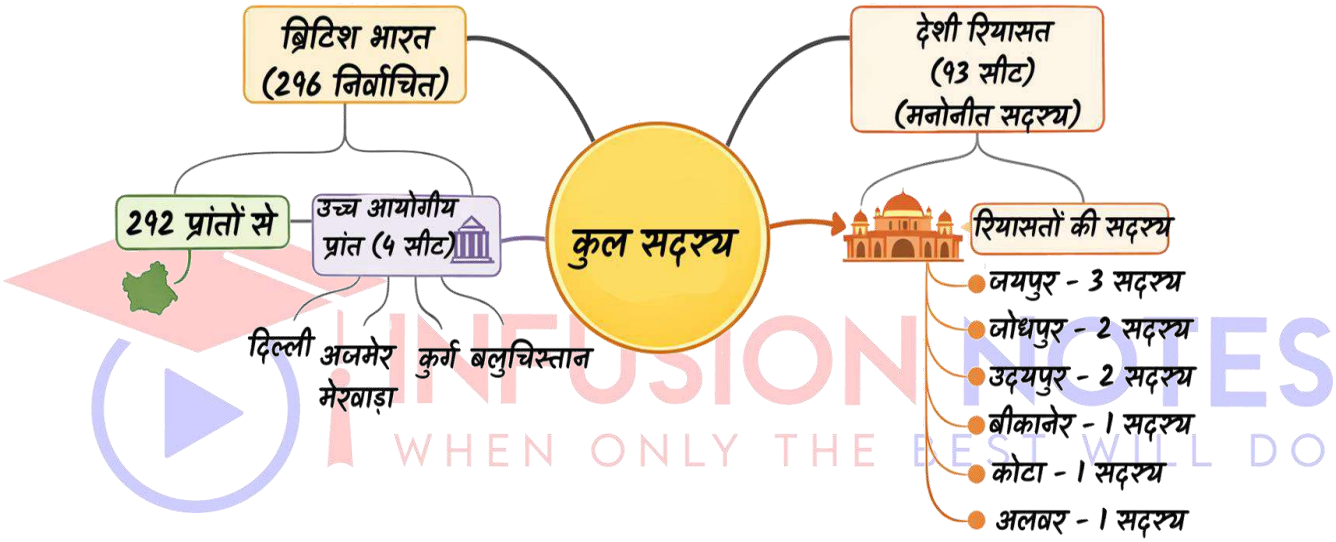

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना।**
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11सत्र में हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।
- इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और
- राष्ट्रगान अपनाया गया

विभिन्न समितियाँ और उनका कार्य

- संविधान के अलग-अलग पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण **प्रारूप समिति (Drafting Committee)** थी।

समिति	अध्यक्ष
प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर. अंबेडकर
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
संचालन समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल

प्रारूप समिति और संविधान का वाचन

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इस पर तीन चरणों में चर्चा (वाचन) हुई:

4 नवम्बर 1948 → Draft Constitution सभा में प्रस्तुत हुआ।

इसे **अंतिम नहीं**, बल्कि प्रारंभिक प्रारूप (Draft) कहा जाता है।

अध्याय – 4

उद्देशिका (प्रस्तावना)

प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है, इसमें संविधान का सार होता है, प्रख्यात न्यायविद् व संवैधानिक विशेषज्ञ एन. ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय पत्र ' कहा है।

सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था ।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाये गये ***'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित*** है।

42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गये ।

एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा ।

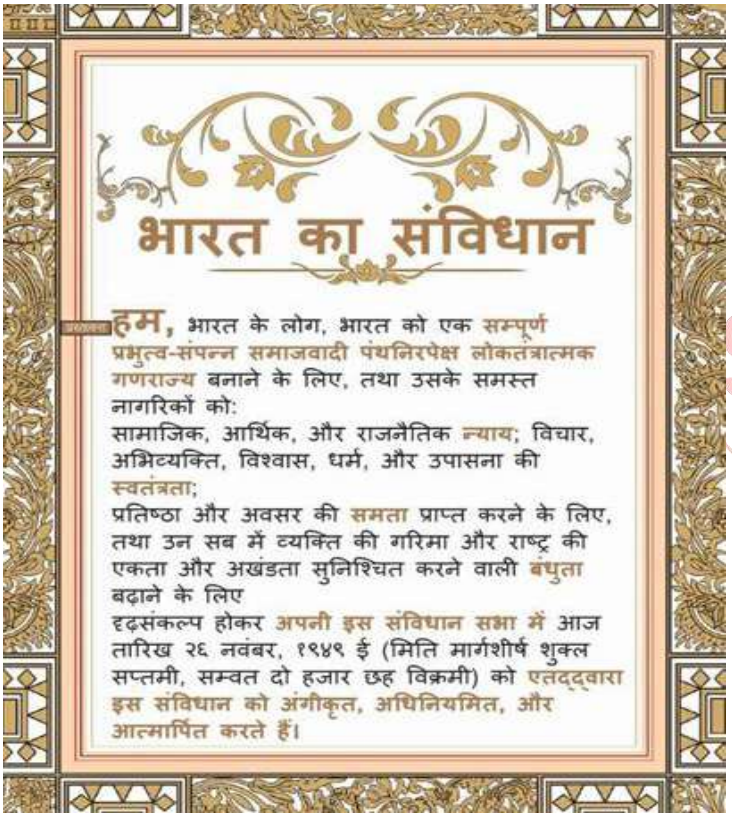

संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु

"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्पित होकर

अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

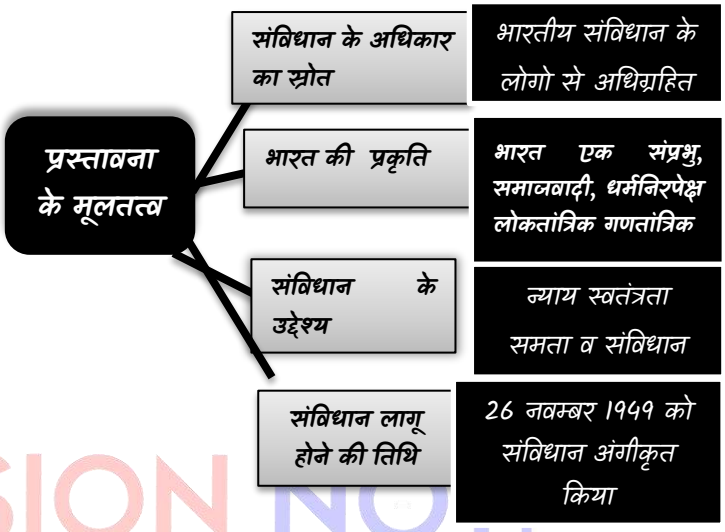

प्रस्तावना के तत्व

- अधिकार का स्त्रोत भारत की जनता होगी।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है।
- न्याय स्वतंत्रता समता व बस संविधान के उद्देश्य है।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया ।

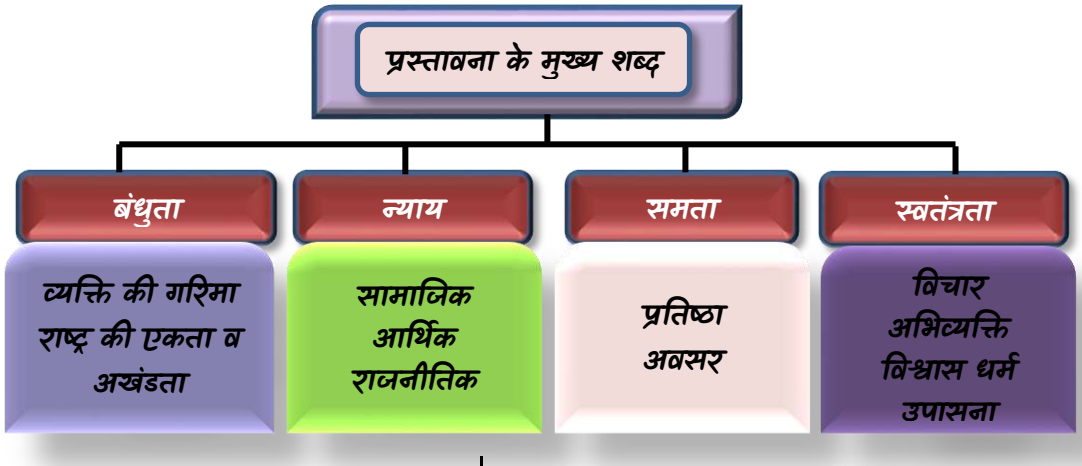

हम भारत के लोग :- *"हम भारत के लोग" का अर्थ है कि* ***संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है।*** *संविधान किसी राजा, ब्रिटिश संसद या विदेशी शक्ति ने नहीं दिया। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है*

1. ***सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न*** *– भारत की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व सम्पन्न राज्य घोषित किया गया है। प्रभुत्व राज्य से आशय है की* ***राज्य के आंतरिक व बाह्य मामले में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा।***

26 जनवरी 1950 से भारत पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र बन गया राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित प्रकार की संप्रभुता देखने को मिलती है।

(a) वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता
(b) नाममात्र की संप्रभुता तथा वास्तविक संप्रभुता
(c) लोकप्रिय संप्रभुता
(d) नाममात्र की तथा तथ्यात्मक संप्रभुता

- *संप्रभुता का सिद्धान्त 17वी सदी के लेकर 1990 तक सैद्धान्तिक एवम व्यवहारिक रूप में एक समान रूप से लागू था अर्थात् किसी भी देश के आन्तरिक तथा बाह्य मामलो में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं था।*
- *लेकिन 1990 के बाद वैश्विक स्तर पर उदारीकरण, निजीकरण एवम वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाया गया और धीरे-धीरे संप्रभुता का सिद्धान्त व्यावहारिक रूप में कमजोर पड़ा। वर्तमान समय में वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के कारण लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक – दूसरे से जुड़ गयी। अतः वर्तमान समय में कोई भी देश व्यावहारिक रूप में पूर्ण संप्रभुता का दावा नही कर सकता।*

2. ***समाजवादी*** *:- समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था।* ***42 वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाया गया जोकि गाँधीवादी समाजवाद से प्रभावित है।***

भारत में अपनाए गए समाजवाद में लोककल्याण भी निहित है। अर्थात् राज्य के द्वारा उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा। जो वंचित, शोषित है अर्थात् राज्य खाद्यान्न, पेयजल,शिक्षा,चिकित्सा,आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

- *साथ ही भारतीय समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल दिया गया। जिसके तहत उत्पादन के साधनों पर राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों को अधिकार दिया गया और वर्तमान समय में धीरे -धीरे राज्य अपना दायरा सीमित कर रहा है और निजी क्षेत्र को बड़ावा दिया जा रहा है।*

3. ***पंथनिरपेक्ष*** *– पंथनिरपेक्ष शब्द भी मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया।*

पंथनिरक्षेप राज्य से आशय है ***(भारत के सन्दर्भ में) राज्य का अपना कोई धर्म नही होगा और राज्य सभी धर्मो का समान रूप से आदर करेगा।***

पंथनिरपेक्षता राज्य के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है –

(1) नकारात्मक पंथनिरपेक्षता *– यह वह स्थिति है जिसमें राज्य का धर्म से कोई संबंध नही होता है। अर्थात state religion से दूरी (जैसे USA)*

नकारात्मक पंथनिरपेक्षता

1917 में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति *के बाद नकारात्मक पंथनिरपेक्षता को अपनाया गया और चर्च को समाप्त कर दिया गया। अधिकांश साम्यवादी देशों में इस प्रकार की पंथनिरपेक्षता पर ही बल दिया गया।इसे "Wall of separation" कहा जाता है।*

(2) सकारात्मक *पंथनिरपेक्षता- सकारात्मक पंथनिरपेक्षता ऐसी स्थिति को कहा जाता है। जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नही होता है लेकिन राज्य अपने नागरिकों के धार्मिक क्रियाकलापों में होने वाली समस्याओं एवं बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी करता है।*

भारत में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को अपनाने के पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण कारण भारत की धार्मिक विविधता है। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक अल्पसंख्यको के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य का पंथनिरक्षेप होना आवश्यक होता है। भारत इसी मॉडल को अपनाता है।

नोट -

- *प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया क्योकि भारत में धर्म का आशय नेतिक संहिता भी होता है।*
- ***स्वयं गाँधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कहा था कि एक धर्मविहीन राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती।*** *उनका "धर्म" का अर्थ था:नैतिकता, सत्य और अहिंसा पर आधारित आचरण — न कि किसी एक धर्म का राज्य।*
- ***एस. आर. बोम्मई मामला (1994):*** *इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भले ही 'पंथनिरपेक्ष' शब्द 1976 में जोड़ा गया, लेकिन भारत* ***1950 से ही*** *एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है (अनुच्छेद 25-28 के कारण)। कोर्ट ने इसे संविधान का* ***"मूल ढांचा" (Basic Structure)*** *घोषित किया।*

4. ***लोकतंत्रात्मक*** *– यह दो प्रकार का होता है –*

(1) प्रत्यक्ष लोकतंत्र (जनता प्रत्यक्ष रूप से नीति-निर्माण में भागीदारी करती है)	*(2) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते है)*

अध्याय – 5

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की जबकि **प्रधानमंत्री वास्तविक राजप्रमुख की भूमिका में होता हैं।** इसका तात्पर्य यह है कि **राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता हैं। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद् और अंतर्राज्यीय परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता हैं।** परम्परागत रूप से, कुछ विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती हैं।

सामान्यतया प्रधानमंत्री निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी लेता हैं:

- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
- कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
- अंतरिक्ष विभाग आदि।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई हैं। **अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इस बात का प्रावधान किया गया हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।** हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार **राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।** लेकिन, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता हैं।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता हैं:

1. मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश् की जाती हैं, राष्ट्रपति (सिर्फ) उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं।
- प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियो को उनके विभाग आवंटित करता हैं और उनमें बदलाव भी कर सकता हैं।
- यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता हैं तो वह उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता हैं या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता हैं।
- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता हैं और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से प्रभावित भी करता हैं।
- वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता हैं और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता हैं।
- **प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर सकता हैं।**

2. राष्ट्रपति के संबंध में

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता हैं। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावाना से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करता हैं।

वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता हैं। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता हैं।

- **प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देता हैं।**

3. संसद के संबंध में-

- प्रधानमंत्री निचले सदन अर्थात् लोकसभा का नेता होता हैं। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने की सलाह देता हैं।
- वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता हैं।

वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता हैं।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता हैं।
- वह देश की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।
- वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता हैं।
- वह आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता हैं।
- राष्ट्र के नेता के रूप में वह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगो से मिलता हैं और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता हैं। वह सत्ता में स्थापित दल का नेता होता हैं।
- वह प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता हैं।

प्रधानमंत्री का राज्यसभा का सदस्य होना

- संविधान प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य होने से निषेध नहीं करता है। हालाँकि, संसदीय लोकतंत्र की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा, जो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुनी जाती है, की सदस्यता प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट परपंराओं का निर्वहन करना चाहिए ।
- ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सदय अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं । यहाँ यह तर्क भी दिया जाता है कि संघ के प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में होना चाहिए ।
- उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है । लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सभा का सदस्य न हों । ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है । उदाहरणस्वरूप श्रीमती इंदिरा गाँधी, पी.वी. नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, डॉ. मनमोहन सिंह आदि नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे ।

सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली

सरकार के प्रधानमंत्री प्रणाली के स्वरूप में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में अधिक प्रभावी रहता है। आमतौर पर यह मामला तब नजर आता है जब सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो और प्रधानमंत्री उस दल का निर्विवाद नेता हो । ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री के फैसले को आमतौर पर मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है । इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं होते इस प्रणाली के लाभ-हानि निम्नलिखित हैं:

लाभ	हानि
समय पर निर्णय।	निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं ।
सरकार मजबूती से निर्णय लेती है।	विवेचना के बाद भी प्रायः निर्णय नहीं लिए जाते ।
प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं ।	अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव

- सामान्यत; यह देखा जाता है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के अधिकार कम हो जाते हैं । इसका कारण एक खंड़ित जनादेश की स्थिति में गठबंधन सरकार का गठन है । कई बार, घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री के बजाय, अपन दल के नेता को प्रधानमंत्री मानने लगते हैं । हालाँकि, यह प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं गठबंधन की राजनीति की प्रकृति के साथ बदलती रहती है तथा यह मनोवृत्ति उस शैली पर भी महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है, जिसके द्वारा गठबंधन का प्रबंधन किया जाता है । ऐसे मामलों में, प्रधानमंत्री की भूमिका, बहुमत दल के एक नेता के बजाय, गठबंधन सरकार के प्रबंधक जैसी हो जाती है ।

प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन :- कई प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है। इसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं –

- **लॉर्ड मॉर्ले :-** उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन ' समान के बीच प्रथम' तथा ' कैबिनेट **रूपी चाप** के मुख्य प्रस्तर ' के रूप में किया है वे कहते हैं, " कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है, जो काफी दायित्वपूर्ण होता है, वह देश का सबसे प्रमुख प्रदेश प्राधिकारी होता है।
- **हबर्ट मैरिसन :-** 'सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख है लेकिन आज उसके दायित्वों में काफी परिवर्तन आया है।
- **सर विलियम वर्नर हरकोर्ट :-** उन्होंने प्रधानमंत्री को ' तारों के बीच चंद्रमा ' की संज्ञा दी है।
- **जेनिंग्स –** " वह सूर्य के समान है जिनके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। " वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है, संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं।
- **रैम्जे म्योर :-** ने इसे " राज्य के जहाज का मल्लाह" कहा है।
- ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले इसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं, इस प्रकार आर. एच. क्रासमैन कहते हैं ' "युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो गई है।" इसी प्रकार वाल्टर बैजहॉट कहते हैं " संसद प्रयोगिक रूप से संप्रभु नहीं है। संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है, ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर **मिनीस्ट्रीयल** शक्ति है। " यही व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद्

- अनुच्छेद 74 और 75, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रावधानों से संबंधित हैं । ये विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं:

मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति और कार्यकाल

- राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा । राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा । तथापि, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद् से पुनर्विचार के लिए कह सकता है । किन्तु, मंत्रिपरिषद् द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा ।
- मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है ।

राज्यसभा के अधिकार और कार्य

धन तथा वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में जाते हैं।

धन विधेयक राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है यदि राज्यसभा द्वारा इसे 14 दिन में पारित न किया जाए तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है।

वित्त विधेयक राज्यसभा संशोधन कर सकती है

यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत से जो भी निर्णय हो जाए, वही अंतिम निर्णय समझा जायेगा

राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।

राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं।

आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन लोक सभा के साथ-ही-साथ राज्यसभा द्वारा भी होना आवश्यक है।

राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार लोक सभा के सामान राज्य सभा को भी है।

संसद में नेता

लोकसभा का अध्यक्ष एवं अन्य (अनुच्छेद 93)	राज्यसभा का उप-सभापति एवं अन्य (अनुच्छेद 89)
11वीं लोकसभा से सदन में ऐसी परंपरा बन गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से संबंधित अपना होता है और उपाध्यक्ष विपक्षी दल से संबंधित होता है उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के अध्यक्ष के बाद होता है।	राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र सौंपता है। राज्यसभा का सभापति भारत के राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि — उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति को (क्योंकि वह Vice President है, सभापति के रूप में नहीं)

इनका निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्यों में से किया जाता है और निर्वाचन की तिथि का निर्धारण सदन द्वारा किया जाता है।

यह अध्यक्ष या सभापति के अधीनस्थ नहीं होते हैं बल्कि सदन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं।

इन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भते प्रदान किए जाते हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

पद मुक्ति की प्रक्रिया अध्यक्ष एवं सभापति के ही समान होती है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। (अनुच्छेद 108)।

यदि इसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो Speaker/Chairman ही समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

लोकसभा के सभापतियों/ राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका:-

इनका नामांकन अध्यक्ष/ सभापति द्वारा किया जाता है।

इसमें 10 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होते हैं।

इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है।

जब अध्यक्ष पद रिक्त हो

लोकसभा उपाध्यक्ष कार्य करता है

यदि वह भी नहीं राष्ट्रपति एक सदस्य को **Protem Speaker** नियुक्त करता है

(सिर्फ अस्थायी शपथ दिलाने के लिए, स्थायी अध्यक्ष नहीं)

इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं ।

सदन का नेता : सदन के नियमों के अंतर्गत (अर्थात् लोकसभा या राज्यसभा) (संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है), सदन के नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री (जिसका वह सदस्य है)है,या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो सदन का सदस्य हो (अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा) ।

विपक्ष का नेता :- संसदीय नियमों के अनुसार (संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है) सदन की ऐसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिसके सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम दसवें हिस्से के बराबर हो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलती है।

उसे कैबिनेट मंत्री के सुविधाए प्रदान की जाती है। सबसे पहली बार 1969 में विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। 1977 में 'विपक्ष के नेता वेतन और भत्ते अधिनियम' (Salary and Allowances of Leaders of Opposition Act, 1977) पारित हुआ।

आईवर जेनिंग ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है।

व्हिप :- व्हिप के पद का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में, ना ही सदन के नियमों में और लेकिन संसदीय नियमों और पार्टी व्यवस्था में मान्यता है

यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। **प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में सहायक नेता के रूप में अपना व्हिप होता है।**

इसका उद्देश्य अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखने और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ में पार्टी के अनुसार उनके सहयोग को सुनिश्चित करना होता है। यह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है

सदस्य व्हिप के विरुद्ध वोट करे या अनुपस्थित रहे तो पार्टी अध्यक्ष/नेता स्पीकर को शिकायत करता है तो स्पीकर निर्णय देता है तब 15 दिन में पार्टी अनुमति दे तो बच

सकता है उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होती निर्णय **अध्यक्ष/सभापति** करता है

लक्षद्वीप में न्यूनतम मतदाता है।

आधार	**लोकसभा (Lok Sabha)**	**राज्यसभा (Rajya Sabha)**
नाम	इसे 'निम्न सदन' या 'हाउस ऑफ पीपल' कहते हैं।	इसे 'उच्च सदन' या 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' कहते हैं।
संवैधानिक अनुच्छेद	**अनुच्छेद 81**	**अनुच्छेद 80**
प्रतिनिधित्व	यह भारत की **जनता** का प्रतिनिधित्व करती है।	यह भारत के **राज्यों और संघ क्षेत्रों** का प्रतिनिधित्व करती है।
अध्यक्ष	**अनु.93 अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष**	**अनु.-89 सभापति (उपराष्ट्रपति)** **उपसभापति -निर्वाचन**
चुनाव प्रक्रिया	**प्रत्यक्ष चुनाव**: जनता सीधे वोट देकर चुनती है।	**अप्रत्यक्ष चुनाव**: राज्य विधानसभाओं के विधायक चुनते हैं।
कार्यकाल	**5 वर्ष** (राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग की जा सकती है)।अनु.94	**स्थायी सदन**: यह कभी भंग नहीं होती। सदस्यों का कार्यकाल **6 वर्ष** होता है।अनु.80
सदस्यों की आयु	न्यूनतम **25 वर्ष**।	न्यूनतम **30 वर्ष**।
अधिकतम सदस्य	**550** (वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव होते हैं)।	**250** (वर्तमान में 245 सदस्य हैं)।
पीठासीन अधिकारी	**अध्यक्ष (Speaker)**: सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है।	**सभापति**: भारत का **उपराष्ट्रपति** पदेन सभापति होता है।
धन विधेयक	केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।	इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, बदलाव नहीं कर सकती।
मंत्रिपरिषद	सरकार केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।	सरकार इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती।
विशेष शक्ति	अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार गिरा सकती है।	नई अखिल भारतीय सेवाएं (अनुच्छेद 312) बनाने की शक्ति।

संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108

- कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब दोनों सदनो द्वारा पारित कर दिया जाए।
- "किसी भी विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। (धन विधेयक को छोड़कर)
- यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाये अथवा 6 माह तक रोक लिया जाये तो इस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है। संयुक्त बैठक में वह विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उसकी अनुपस्थिती में लोकसभा
- उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति अथवा किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जा सकती है।
- परन्तु उपराष्ट्रपति किसी भी स्थिति में इसकी अध्यक्षता नहीं करता है।

संसदो की निरर्हताएँ:-

- अनुच्छेद- 101 यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थिति रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है
- 1954 में H.G. मुद्गल ने रिश्वत लेने के आधार पर लोकसभा से इस्तीफा लिया था ।
- ऑपरेशन चक्रव्यूह व ऑपरेशन दुर्योधन के दौरान भी लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय

- भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालय **कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास** हैं (1862 में स्थापित)।
- 1866 में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** की स्थापना हुई
- **अनुच्छेद 214:** यह अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा।
- **साझा उच्च न्यायालय अनु.231 (1956):** 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि वह दो या दो से अधिक राज्यों (या केंद्र शासित प्रदेशों) के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सके।
- **उदाहरण:** पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (चंडीगढ़), गुवाहाटी उच्च न्यायालय (सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए था, अब चार के लिए है)
- भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के एक समूह होता है

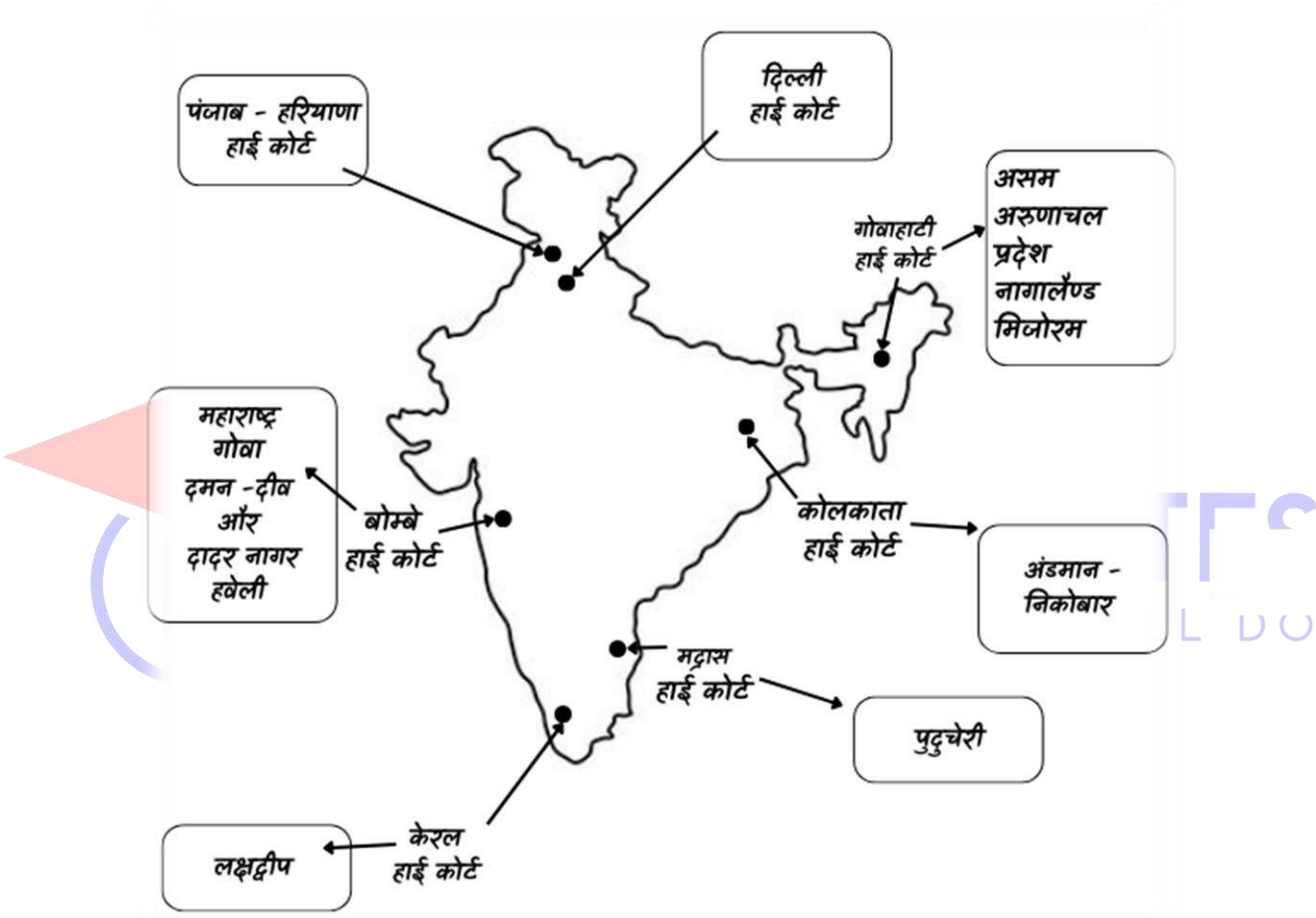

- मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा राज्यों तथा दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर है ।
- अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पाण्डिचेरी तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है ।
- सात संघ शासित राज्यों में से अब दिल्ली और जम्मू कश्मीर एव लद्दाख जिसका अपना उच्च न्यायालय है 2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद, अब 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय' एक साझा उच्च न्यायालय है जो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करता है।
- उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 व भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं । न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में, उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र हैं ।
- उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के साथ, जो उनके अधीनस्थ होते हैं, राज्य के प्रमुख दीवानी न्यायालय होते हैं।
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती है ।
- इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ होती है ।

अनु.216 उच्च न्यायालय का गठन

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार करेगा।

7. भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक समिति का गठन किया था ?

A. ए.आयंगर
B. पी. वी सुब्बइया
C. के संथानम
D. के. हनुमंथैया

उत्तर - C

8. केन्द्रीय सतर्कता आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य मुख्य कार्य है ?

A. देश के अन्वेषण एजेंसियों पर नजर रखना।
B. न्यायालय में लंबित फौजदारी मामलों को निपटाने में सहायता करना।
C. सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायता करना।
D. एक लोक सेवक पर लगाए गए आरोपों की जांच करना या उसके कारणों की जांच करना।

उत्तर - D

अध्याय – 15

केंद्रीय सूचना आयोग

- केंद्रीय सूचना आयोग **एक सांविधिक निकाय** है, जिसकी **स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गयी**,
- इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों तथा सार्वजनिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है ।
- सूचना आयोग केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।

सूचना का अधिकार (right to Information)

- किसी लोकतंत्र की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें से एक है शासन में पारदर्शिता और सही सूचनाओं तक लोगों की पहुँच।
- खासकर के भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है। वैसे भारतीय संविधान ढेरो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है।
- सूचना का अधिकार **(RTI) एक ऐसा अधिकार है जो एक एड ऑन (Add on) की तरह काम करता है और अन्य अधिकारों को भी सशक्त (Strong) बनाता है** ।
- दूसरी बात कि ये प्रशासन या प्राधिकरण में सतर्कता बनाए रखता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है।
- इसकी शुरुआत वैसे तो 1948 से ही मानी जाती है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया गया।
- जिसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- **भारत में इसे 2005 में एक अधिनियम के द्वारा अपनाया गया** और केंद्र एवं राज्यों में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
- "सूचना का अधिकार" से यहाँ मतलब पहुँच सकने योग्य सूचना से है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन है, इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है—

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरिक्षण;
(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
(iii) सामग्रियों के प्रमाणित नमूने लेना;
(iv) डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्त करना है।"

- सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।"
- थॉमस जैफरसन – (अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति)
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-
- सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act-RTI), 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे शासन में पारदर्शिता और नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्तूबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना इसी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के मा ध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक सांविधिक निकाय है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) एक स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना

इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner) एवं अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (Information commissioner) हो सकते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये।

- उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते हों।
- पहली महिला आयुक्त -दीपक संधू

मुख्य सूचना आयुक्त

क्र सं.	नाम	पद ग्रहण किया	पद छोड़ा
1.	वाजाहत हबीबुल्लाह	26 अक्टूबर 2005	19 सितम्बर 2010
2.	ए. एन. तिवारी	30 सितम्बर 2010	18 दिसम्बर 2010
3.	सत्यनंद मिश्र	19 दिसम्बर 2010	4 सितम्बर 2013
4.	दीपक संधू	5 सितम्बर 2013	18 दिसम्बर 2013
5.	सुषमा सिंह	19 दिसम्बर 2013	21 मई 2014
6.	राजीव माथुर	22 मई 2014	22 अगस्त 2014
7.	विजय शर्मा	10 जून 2015	1 दिसम्बर 2015
8.	राधा कृष्ण माथुर	4 जनवरी 2016	24 नवम्बर 2018
9.	सुधीर भार्गव	1 जनवरी 2019	11 जनवरी 2020
10.	बिमल जुल्का	19 फरवरी 2020	31 अक्टूबर 2020
11.	यशवर्धन कुमार सिन्हा	7 नवम्बर 2020	3 अक्टूबर 2023
12.	हीरालाल सामरिया	6 नवम्बर 2023	2024
13.	राज कुमार गोयल	15 दिसम्बर 2025	वर्तमान

कार्यकाल एवं सेवा शर्तें (Tenure and service conditions)

- मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त **5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों** में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। पर वे पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते।
- राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकता है:

(1) यदि वे दीवालिया (Bankruptcy) हो गये हों; या

(2) राष्ट्रपति की नजर में यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो; या

(3) यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों; या यदि वे राष्ट्रपति की नजर में

(4) "ग्रे-ज़ोन" चुनौतियाँ

- सोशल मीडिया-प्रेरित अफवाहें, भीड़-हिंसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ऑनलाइन कट्टरपंथ—जो अचानक कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं।

(5) कठिन भू-आकृति और दूरस्थ क्षेत्र

- LWE/NE/हिमालयी क्षेत्रों में **लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, टेरिटोरियल कंट्रोल, स्थानीय विश्वास** बनाये रखना कठिन।

(6) अधिकार-मानवाधिकार संतुलन और न्यायिक प्रक्रिया

- कड़े कदम उठाते समय **ड्यू-प्रोसेस, मानवाधिकार, पारदर्शिता, त्वरित न्याय, पुलिस सुधार**—इनका संतुलन बनाए रखना आवश्यक।

प्रभावी आन्तरिक सुरक्षा प्रबंधन के "कोर स्तंभ" (Way Forward Framework)

- **इंटेलिजेंस-लीड ऑपरेशंस + टेक-अपग्रेड**: डेटा-फ्यूज़न, तेजी से अलर्ट-रिस्पॉन्स, साइबर क्षमता
- **State Police क्षमता-निर्माण**: फॉरेंसिक्स, साइबर सेल, CT SOP, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, प्रशिक्षण
- **CAPF आधुनिकीकरण + रिक्तियों की भरपाई**: उपकरण, संचार, ड्रोन-रोधी उपाय, हेल्थ-वेलफेयर
- **Whole-of-Government approach**: सुरक्षा + विकास + सुशासन (विशेषकर LWE/सीमावर्ती/दूरस्थ क्षेत्र)
- **समुदाय-आधारित पुलिसिंग/विश्वास-निर्माण**: स्थानीय सहयोग, रैडिकलाइजेशन-रोधी, जन-संवाद
- **क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा**: जोखिम-आकलन, ऑडिट, SOP, मॉक-ड्रिल, बहु-एजेंसी समन्वय

राजस्थान की राजव्यवस्था

अध्याय – 1

राज्य की राजनीतिक व्यवस्था

(परिचय)

राज्य की परिभाषा –

अरस्तु के अनुसार -"राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

सिसरो के शब्दों में – "राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

वुडरो विल्सन – "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"

ब्लंशली – "किसी निश्चित भू- प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"

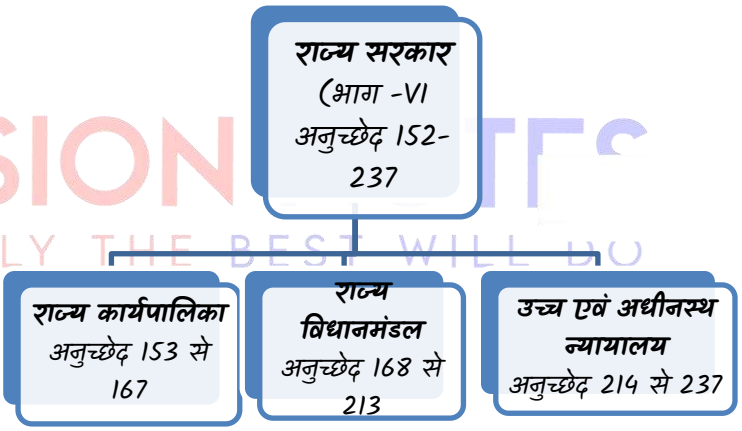

राज्य के तत्व

1. **जनसंख्या (population)** – राज्य मे जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नही की जा सकती जिसमे कोई व्यक्ति नही रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमे एक निश्चित मात्रा मे जनसंख्या हो।
2. **निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)**– राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है। निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नही की जा सकती।
3. **सरकार (government)**– राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य मे सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नही कहा

जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।

4. **संप्रभुता (sovereignity)** – संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज मे अन्य तीन तत्वो के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नही बन सकता राज्य मे। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती है परन्तु संप्रभुता नही हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।

अध्याय – 2

राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।**
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 'कनाडा' से लिया गया है।**

> **संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है –**
> (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
> (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिशें –

1. **सरकारिया आयोग**

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

सिफारिश –

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।

अध्याय – 4

राज्य विधान मण्डल व विधानसभा

- संविधान के **छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक** राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है ।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा ।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन) है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा (निम्न सदन / पहला सदन / लोकप्रिय सदन) है ।

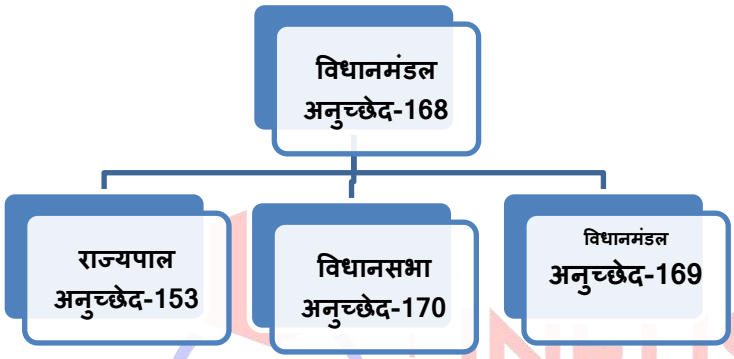

राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा

- **अनुच्छेद 170 के अनुसार** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी । विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है ।)
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है ।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा (40), सिक्किम (32), मिजोरम (40) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (30) है ।

NOTE - संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती हैं । इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ।

- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश (404), पश्चिम बंगाल (295) बिहार (243) महाराष्ट्र (288)

NOTE :- दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या है। जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया है । जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।
- **अनुच्छेद 170** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।
- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।
- राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है लेकिन प्रथम आम चुनाव (वर्ष 1952) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 160 थी जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रामराज्य परिषद् (24 सीटें) थी । छठी विधानसभा (वर्ष 1977) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई । विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है । वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

प्रश्नः- सन् 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। (RAS. Pre.2016)
(a) 200
(b) 160
(c) 188
(d) प्रत्येक जिले में तीन विधायक
उत्तर – (b)

- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद् का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद् का गठन एवं उन्मूलन होता है ।

प्रश्नः- राज्य विधान परिषद् के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौनसा कथन सही है? (RAS. Pre. 2021)

(1) केन्द्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।
(2) केन्द्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।
(3) राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें।
(4) राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें।
भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का, सुमेलित युग्म पहचानिए

उत्तर –(1)

- ***NOTE - विधानपरिषद् के गठन व उत्सादन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है ।***
- वर्तमान में छः राज्यों में विधानपरिषद् हैं।
  1. आंध्रप्रदेश 2. तेलगांना 3. उत्तर प्रदेश
  4. बिहार 5. महाराष्ट्र 6. कर्नाटक
- ***NOTE*** – अप्रैल, 2012 में राजस्थान विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था । जिसमें विधानपरिषद् की संख्या 66 निर्धारित की गई थी। इस पर अगस्त, 2013 में राज्यसभा एक विधेयक लाया गया था जो वर्तमान में लम्बित है ।

अनुच्छेद 171 - विधान परिषद् की संरचना

संख्या : - इसमें अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की एक - तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है।

NOTE :- इनकी वास्तविक संख्या संसद निर्धारित करती है।

निर्वाचन पद्धति : - विधानपरिषद् के सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।

विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से –

(i) 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका, जिला परिषद् आदि के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है ।
(ii) 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है ।
(iii) 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, समाज - सेवा का विशेष ज्ञान हो ।
(iv) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते है जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं ।
(v) 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ।

इस प्रकार विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता ।

NOTE :- राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

<u>विधान परिषद् एवं सदस्यों का कार्यकाल :</u>

- राज्य विधान परिषद् का विघटन नहीं होता किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं ।
- इस तरह एक सदस्य छह वर्ष के लिए सदस्य बनता है । खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन (राज्यपाल द्वारा) हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है ।
- सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं ।
- ***अनुच्छेद 172*** राज्यों के विधान मण्डलों की अवधि
- अनुच्छेद 172(1) विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है ।
- राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार मे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात् बढ़ायी गई अवधि 6 माह तक रह सकती है। 5 वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था अतः राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा 5 वीं थी ।
- अनुच्छेद 172 (2) विधान परिषद् एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते है और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं ।

अनुच्छेद 173 विधानमंडल (विधानपरिषद् व विधानसभा) के सदस्यों के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ

विधानपरिषद्	***विधानसभा***
भारत का नागरिक हो ।	वह भारत का नागरिक हो।
वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।	वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता धारण करता हो ।	वह पागल या दिवालिया न हो ।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधानसभा के निर्वाचन का निर्वाचक होना चाहिए	वह शासकीय सेवा में न हो अर्थात् किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो
राज्यपाल उसी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जो राज्य का मूल निवासी हो ।	संसद द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो ।

अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधान मण्डल का सत्राहूत, सत्रावसान व विधानसभा को भंग (विघटित) कर सकता है।

अध्याय – 8

राजस्थान राज्य सचिवालय

सचिवालय का शाब्दिक अर्थ है 'सचिवों का कार्यालय'। यह राज्य सरकार का **नीति-निर्धारक (Policy Making)** अंग है। इसका मुख्य कार्य मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना और सरकारी नीतियों का निर्माण व निगरानी करना है। राजस्थान शासन सचिवालय राज्य प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है।

सचिवालय में दो प्रकार का नेतृत्व होता है:

- **राजनैतिक प्रमुख:** मुख्यमंत्री सचिवालय का सर्वोच्च राजनैतिक प्रमुख होता है। प्रत्येक विभाग का प्रभारी एक मंत्री (कैबिनेट या राज्य मंत्री) होता है।
- **प्रशासनिक प्रमुख: मुख्य सचिव (Chief Secretary)** पूरे सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। प्रत्येक विभाग का नेतृत्व एक **शासन सचिव (Secretary to Government)** करता है, जो सामान्यतः एक IAS अधिकारी होता है।
- **स्थापना:** राजस्थान सचिवालय की स्थापना **अप्रैल 1949** में हुई थी।
- **स्थान:** जयपुर।

सचिवालय के मुख्य कार्य

सचिवालय (Secretariat) सरकार का वह शीर्ष निकाय है जहाँ नीतियों का निर्माण होता है। सचिवालय के कार्यों को मुख्य रूप से प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

यहाँ सचिवालय के कार्यों का विस्तार से वर्णन है:

1. **नीति निर्धारण (Policy Formulation)**
   सचिवालय का सबसे प्राथमिक कार्य सरकार की नीतियों को तैयार करना है। मंत्री जन-इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, जबकि सचिव उन इच्छाओं को व्यवहारिक नीतियों और कार्यक्रमों में बदलते हैं। वे आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाते हैं।
2. **विधायी कार्य (Legislative Functions)**
   सचिवालय विधायी प्रक्रिया में मंत्रियों की सहायता करता है:
   - **विधेयकों का मसौदा:** नए कानूनों या पुराने कानूनों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट तैयार करना।
   - **प्रश्नों के उत्तर:** विधानसभा या संसद में मंत्रियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर और सामग्री तैयार करना।
   - **नियम बनाना:** कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक उप-नियम और विनियम (Regulations) बनाना।
3. **वित्तीय नियंत्रण और बजट (Financial Control)**
   राज्य के खजाने पर नियंत्रण रखना सचिवालय (विशेषकर वित्त विभाग) का प्रमुख कार्य है:
   - **बजट निर्माण:** प्रत्येक विभाग के लिए वार्षिक बजट का अनुमान तैयार करना।
   - **व्यय की स्वीकृति:** यह सुनिश्चित करना कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था।
   - **संसाधन जुटाना:** कर (Tax) और अन्य माध्यमों से राजस्व प्राप्त करने की योजना बनाना।
4. **समन्वय का कार्य (Coordination)**
   सरकार के विभिन्न विभाग अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन सचिवालय उनके बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दो विभागों की नीतियों में कोई टकराव न हो और सभी विभाग सरकार के साझा लक्ष्यों की ओर बढ़ें।
5. **कर्मियों का प्रबंधन (Personnel Management)**
   सचिवालय लोक सेवाओं (Civil Services) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:
   - सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति (Promotion) और स्थानांतरण (Transfer) के नियम बनाना।
   - लोक सेवकों के लिए आचार संहिता और सेवा शर्तें निर्धारित करना।
   - प्रशासनिक अधिकारियों के प्रबंधन के लिए।
6. **निरीक्षण और मूल्यांकन (Supervision & Evaluation)**
   सचिवालय केवल नीतियां नहीं बनाता, बल्कि यह भी देखता है कि नीचे के स्तर (निदेशालयों और जिला प्रशासन) पर उन नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। यह समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट मांगता है और सुधार के निर्देश देता है।

सचिवालय में पदों का क्रम ऊपर से नीचे इस प्रकार होता है:

1. मुख्य सचिव (Chief Secretary)
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary)
3. प्रमुख शासन सचिव (Principal Secretary)
4. शासन सचिव (Secretary)
5. विशिष्ट सचिव (Special Secretary)
6. संयुक्त सचिव (Joint Secretary)
7. उप सचिव (Deputy Secretary)
8. अवर सचिव (Under Secretary)
9. अनुभाग अधिकारी (Section Officer)

सचिवालय के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विभाग कार्य करते हैं, जैसे:

- **गृह विभाग:** कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार।
- **राजस्व विभाग:** भूमि रिकॉर्ड और लगान प्रबंधन।

अध्याय – 17

राजस्व मंडल

राजस्व मंडल (Board of Revenue) राजस्थान में राजस्व प्रशासन और न्यायिक मामलों का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना, संरचना और कार्यों का विस्तार से वर्णन नीचे दिया गया है:

1. स्थापना और मुख्यालय

- **स्थापना:** राजस्व मंडल की स्थापना राजप्रमुख के अध्यादेश द्वारा **12 अगस्त, 1949** को की गई थी। बाद में 'राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956' के तहत इसे वैधानिक स्वरूप दिया गया।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्य कार्यालय **अजमेर** में स्थित है।
- **सर्किट बेंच:** प्रशासनिक सुविधा के लिए इसकी एक सर्किट बेंच **जयपुर** में भी कार्य करती है।

2. संरचना (Structure)

राजस्व मंडल एक बहु-सदस्यीय निकाय है। इसकी संरचना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित है:

- **अध्यक्ष:** मंडल का प्रमुख एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है।
- **सदस्य:** अधिनियम के अनुसार, मंडल में एक अध्यक्ष और न्यूनतम 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष के अलावा कई न्यायिक और गैर-न्यायिक (IAS/RAS) सदस्य होते हैं (अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है)।
- **निबंधक (Registrar):** मंडल के प्रशासनिक कार्यों और मुकदमों के प्रबंधन के लिए एक रजिस्ट्रार और अतिरिक्त रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है

मुख्य कार्य और शक्तियाँ

राजस्व मंडल दो प्रकार के कार्य करता है: **न्यायिक** और **प्रशासनिक**।

क. न्यायिक कार्य (Judicial Functions)

राजस्व मंडल राज्य का **सर्वोच्च राजस्व न्यायालय** है। इसे तीन प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं:

1. **अपील (Appeal):** राजस्व अपील अधिकारी या जिला कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना।
2. **पुनरीक्षण (Revision):** अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के फैसलों की वैधता की जाँच करना।
3. **संदर्भ (Reference):** कानूनी जटिलताओं के मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भेजे गए संदर्भों पर निर्णय देना।

ख. प्रशासनिक कार्य (Administrative Functions)

- **भू-अभिलेखों का संधारण:** पूरे राज्य में भूमि रिकॉर्ड (Land Records) के रखरखाव की निगरानी करना।
- **राजस्व अधिकारियों का नियंत्रण:** तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो (ILR) और पटवारियों के कैडर का प्रबंधन, पदोन्नति और स्थानांतरण करना।
- **कृषि सांख्यिकी:** फसल अनुमान और कृषि संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करना और रिपोर्ट तैयार करना।
- **पशु गणना:** राज्य में पशुधन की गणना का उत्तरदायित्व भी राजस्व मंडल के पास होता है।
- **प्रशिक्षण:** पटवारियों और अन्य राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

महत्व

- यह किसानों और भूमि स्वामियों के लिए न्याय का अंतिम द्वार है (राजस्व मामलों में)।
- यह राज्य सरकार के लिए राजस्व नीतियों के कार्यान्वयन में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है।
- **डिजिटल राजस्थान:** वर्तमान में 'राजस्व मंडल' ने अपने रिकॉर्ड और अदालती कार्यवाही को ऑनलाइन (Digital Rajasva Mandal) कर दिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।

विशेष तथ्य: राजस्थान राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष **श्री बृज चंद्र शर्मा** थे।
वर्तमान में (जनवरी 2026 तक), **श्री हेमंत कुमार गेरा (IAS)** राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर के अध्यक्ष हैं।

➢ राजस्व मंडल के प्रमुख सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम	पद
1.	**श्री हेमंत कुमार गेरा, IAS**	अध्यक्ष (राजस्व मंडल)
2.	श्री टीकम चंद बोहरा, IAS	सदस्य
3.	श्री किशोर कुमार, IAS	सदस्य
4.	श्री केसर लाल मीणा, IAS	सदस्य
5.	श्री अजीत सिंह राजावत, IAS	सदस्य
6.	डॉ. शिव प्रसाद सिंह, IAS	सदस्य
7.	श्री राजेश सिंह	सदस्य
8.	श्री मदन लाल नेहरा	सदस्य
9.	श्री भवानी सिंह पालावत	सदस्य
10.	डॉ. महेंद्र लोढ़ा	सदस्य
11.	श्री गौरव बजाड़	सदस्य
12.	श्री राजेंद्र सिंह कविया	सदस्य
13.	श्रीमती कमला अलारिया	सदस्य
14.	श्री राजेश कुमार दरिया	सदस्य
15.	श्री सनुज कुलश्रेष्ठ	सदस्य

5. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच
ई-मित्र केंद्रों ने दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं से जोड़ा।

6. प्रशासनिक दक्षता
डिजिटल डेटा साझा होने से निर्णय-प्रक्रिया तेज हुई और विभागीय समन्वय बढ़ा।

III. प्रमुख चुनौतियाँ

1. डिजिटल विभाजन
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण सभी नागरिक समान रूप से लाभ नहीं उठा पाते।

2. तकनीकी समस्याएँ
सर्वर बाधाएँ, पोर्टल की धीमी गति और तकनीकी सहायता की कमी सेवाओं को प्रभावित करती है।

3. साइबर सुरक्षा
डिजिटल डेटा और पहचान प्रणालियों के कारण डेटा चोरी और गोपनीयता जोखिम बढ़ते हैं।

4. प्रशासनिक क्षमता
कई कर्मचारियों को आईटी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अन्यथा तकनीक का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता।

5. सामाजिक बाधाएँ
अशिक्षित, बुजुर्ग और गरीब वर्ग डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

6. विभागीय समन्वय
सभी विभागों के पोर्टल पूरी तरह एकीकृत नहीं होने से नागरिकों को कई मंचों का उपयोग करना पड़ता है।

7. अवसंरचना समस्याएँ
बिजली और इंटरनेट की अनियमित उपलब्धता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बाधा है।

IV. सुधार के उपाय

- डिजिटल साक्षरता अभियान
- साइबर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना
- ग्राम स्तर तक इंटरनेट अवसंरचना विस्तार
- एकीकृत सेवा प्लेटफॉर्म विकसित करना
- मोबाइल आधारित सेवाओं का विस्तार
- प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता

☛ **नोट-** राजस्थान ने ई-शासन को प्रशासनिक सुधार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनाया है। ई-मित्र, SSO, जन-आधार और जन सूचना जैसे कार्यक्रमों ने शासन को नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी बनाया है।
हालाँकि डिजिटल विभाजन, तकनीकी अवरोध और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी मौजूद हैं। यदि डिजिटल अवसंरचना और जनजागरूकता को और मजबूत किया जाए तो ई-शासन राज्य में प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने का आधार बन सकता है।

विश्व राजनीति

अध्याय – I

शीत युद्धोत्तर

- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को **शीत युद्ध** के नाम से जाना जाता है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कन्धा मिलाकर धूरी राष्ट्रों - जर्मनी, इटली और जापानके विरुद्ध संघर्ष किया था। किन्तु युद्ध समाप्त होते ही, एक ओर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी।
- ☛ **Note :-** द्वितीय विश्व युद्ध । सितम्बर 1939 से प्रारंभ होकर 2 सितम्बर 1945 तक मित्र राष्ट्र और धूरी राष्ट्रों के मध्य हुआ ।
- मित्र राष्ट्र – ब्रिटेन USA, सोवियत संघ, चीन आदि।
- धूरी राष्ट्र – जर्मनी, जापान, इटली आदि
- रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी देश दो खेमों में बँट गये। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। बर्लिन संकट, कोरिया युद्ध, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण, सैनिक संगठन, हिन्द चीन की समस्या, यू-2 विमान काण्ड, क्यूबा मिसाइल संकट कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने शीतयुद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया। सन् 1991 में सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गयी और शीत युद्ध की समाप्ति हो गयी।

- **शीत युद्ध का अर्थ**
- शीत युद्ध (Cold War) की प्रकृति पर आपका यह विवरण बहुत ही प्रभावशाली और सटीक है। आपने इस युद्ध के "मनोवैज्ञानिक" और "राजनैतिक" पहलुओं को बहुत गहराई से स्पष्ट किया है।

शीत युद्ध की अनूठी प्रकृति

- **अस्त्र-विहीन युद्ध:** यह "गर्म युद्ध" (Hot War) के विपरीत था। इसमें सेनाएं आमने-सामने नहीं लड़ीं, बल्कि यह **धमकियों और कूटनीतिक चालों** का युद्ध था।
- **वैचारिक संघर्ष:** यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं—**पूँजीवाद (USA)** और **साम्यवाद (USSR)**—के बीच का संघर्ष था।
- **प्रचार और संचार के साधन:** जैसा कि आपने उल्लेख किया, इसे "वाक् युद्ध" कहा जाता है क्योंकि इसमें **रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं और 'कागज के गोलों'** (Propganda) का

जमकर इस्तेमाल किया गया ताकि वैश्विक जनमत को अपने पक्ष में किया जा सके।

शीत युद्ध की रणनीतियाँ

- **परोक्ष युद्ध (Proxy Wars):** यद्यपि दोनों महाशक्तियाँ सीधे नहीं लड़ीं, लेकिन उन्होंने दुनिया के अन्य हिस्सों (जैसे वियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान) में स्थानीय स्तर पर परोक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
- **प्रतिरोध (Deterrence):** "युद्ध को शस्त्रायुद्ध में बदलने से रोकने के उपाय" के तहत **परमाणु हथियारों** की होड़ ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहाँ दोनों पक्ष जानते थे कि युद्ध का अर्थ पूर्ण विनाश है। इसी भय ने इसे 'शीत' बनाए रखा।
- **गुटबाजी:** प्रत्येक महाशक्ति का उद्देश्य अधिक से अधिक मित्र राष्ट्रों को अपने पाले में शामिल करना था, ताकि शत्रु गुट की चालों को असफल किया जा सके।
- **ऐतिहासिक महत्व**
- यह युद्ध मात्र अविश्वास की परिणति नहीं था, बल्कि इसने दशकों तक वैश्विक राजनीति की दिशा तय की। 1945 से 1991 तक पूरा विश्व **द्वि-ध्रुवीय (Bipolar)** रहा।

शीतयुद्ध की उत्पत्ति

- शीतयुद्ध के लक्षण द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे, जब दोनों महाशक्तियां अपने-अपने वैचारिक मतभेद (साम्यवाद बनाम पूँजीवाद),सुरक्षा-चिंता (security dilemma)शक्ति संतुलन (balance of power)को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी, वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और शीतयुद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए थे, दोनों गुटों में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना प्रबलित हो गई थी। इन शिकायतों के कुछ सुदृढ़ आधार थे। ये पारस्परिक मतभेद ही शीतयुद्ध के प्रमुख कारण थे, शीतयुद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

शीत युद्ध के उदय के कारण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे

(1) ऐतिहासिक कारण -

- सामान्यतः **शीत युद्ध** की उत्पत्ति का कारण सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति मानी जाती है। बोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात् रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर शंकित होने लगे। उन्होंने इसे विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया हिटलर ने 1941 में सोवियत संघ पर हमला (Operation Barbarossa) अपनी विस्तारवादी नाजी नीति के तहत किया।
- यह जरूर कहा जाता है कि ब्रिटेन-फ्रांस की तुष्टिकरण नीति (Appeasement Policy) के कारण जर्मनी मजबूत हो गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर रूस पर हमला करवाया — ऐसा इतिहास में प्रमाणित नहीं है।

(2) द्वितीय मोर्चे का प्रश्न -

- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी के आक्रमण से सोवियत संघ को भारी क्षति पहुँची। इसलिए स्टालिन ने ब्रिटेन और अमेरिका से पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने का आग्रह किया, ताकि जर्मनी पर दबाव कम हो सके। किन्तु मित्र राष्ट्रों द्वारा इस मोर्चे को खोलने में विलंब हुआ और 1944 में नॉर्मंडी आक्रमण के साथ यह संभव हो पाया। इस देरी से सोवियत संघ को पश्चिमी देशों पर संदेह हुआ और दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ गया, जिसने शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की।

(3) युद्धोत्तर उद्देश्य में अन्तर -

सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के युद्धोपरान्त उद्देश्यों में भी अन्तर था । भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे।

(4) सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना-

- सन् 1945 में याल्टा सम्मेलन में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, लेकिन स्टालिन ने पोलैण्ड में अपनी संरक्षित लूबनिन सरकार लादने का प्रयत्न किया।
- उसने चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी तथा रूमानिया से पश्चिमी देशों ने इसे समझौते की भावना के विपरीत माना, जबकि सोवियत संघ इसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताता रहा। इस घटना से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास गहरा गया और यही तनाव आगे चलकर शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में परिवर्तित हो गया।

(5) रूस द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण -

- सोवियत संघ ने सन् 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर सोवियत रूस ने समझौते का अतिक्रमण करते हुए साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और यहाँ सर्वहारा की तानाशाही(कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुए) स्थापित कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों का नाराज होना स्वाभाविक था।
- सर्वहारा :- यहाँ सर्वहारा से तात्पर्य समाज की नीचे वाली श्रेणी के लोगों से है जैसे - मजदूर ।

Note :- साम्यवादी :- साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर समतामूलक वर्गहीन समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है ।

(6) ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना —

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। युद्धोपरान्त सोवियत संघ ने वहाँ से सेना हटाने से इन्कार कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप

ही सोवियत संघ ने वहाँ से सेनाएँ हटाई। इससे भी पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गए।

(7) यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप –

- सन् 1945 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से पड़ोसी साम्यवादी राष्ट्रों- अल्बानिया, यूगोस्लाविया एवं बुल्गारिया आदि द्वारा यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परम्परागत राजतन्त्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी।

(8) टर्की पर सोवियत संघ का दबाव –

- युद्ध के तुरन्त बाद सोवियत संघ नेरी के कुछ प्रदेश और बास्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परन्तु पश्चिमी देश इसके विरुद्ध थे।

(9) परमाणु बम का आविष्कार –

शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार था। अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया था। सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया। अतः इस कारण भी दोनों पक्षों में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

(10) सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार-

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पूर्व से ही सोवियत संघ के प्रमुख समाचार-पत्रों में अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे। अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का विरोध किया।

(11) पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान –

पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी का कार्य किया। 18 अगस्त, 1945 को अमेरिका के राज्य सचिव और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि "हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना है।" अतः सोवियत संघ एवं अमेरिका में मतभेद और उग्र हो गए।

(12) बर्लिन की नाकेबन्दी –

सोवियत संघ द्वारा लन्दन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबन्दी कर दी गई। इसे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद् में रखा और शान्ति के लिए घातक बताया।।

(13) सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार-बार प्रयोग-

सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए बार-बार वीटो का प्रयोग किया। वीटो के इस दुरुपयोग के कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे।

वीटो – UNSC में 5 स्थायी देशों – चीन, फ्रांस, रूस, USA, ब्रिटेन को वीटो पॉवर प्राप्त है। वीटो का अर्थ है, "मैं अनुमति नहीं देता हूँ" यदि UN में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है और कोई एक स्थायी देश अपनी वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो यह प्रस्ताव रद्द हो जाता है।

(14) सोवियत संघ की लैण्ड –

लीज सहायता बन्द करना-लैण्ड-लीज एक्ट के अन्तर्गत सोवियत संघ को अमेरिका द्वारा दी जा रही अल्प सहायता राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा बन्द किए जाने पर सोवियत संघ असन्तुष्ट हो गया। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला।

(15) सैद्धान्तिक व वैचारिक संघर्ष –

यह एक वैचारिक संघर्ष था, क्योंकि अमेरिका एक पूँजीवादी राष्ट्र है, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी 'विश्व के मजदूरों एक हो जाओ' की साम्यवादी घोषणा 'बुर्जुआ पूँजीवादी व्यवस्था' को नष्ट करने का खुला ऐलान था।

यहाँ पूँजीवादी राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों से है जहाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात् जिन राष्ट्रों में उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूँजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। तथा निजी सम्पत्ति का अधिकार होता है।

(16) शक्ति संघर्ष –

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ-अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों में विश्व में अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए शक्ति संघर्ष अनिवार्य था। मॉर्गेन्थाऊ के अनुसार, "अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है।"

(17) हित संघर्ष –

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ के हित एक-दूसरे के विरुद्ध थे और दोनों अपने स्वार्थों के लिए संघर्षरत थे।

उपर्युक्त सभी कारणों के फलस्वरूप शीत युद्ध की भावना का विस्तार हुआ।

<u>पॉट्सडैम सम्मेलन (Potsdam Conference)</u>

- तिथि: **17 जुलाई – 2 अगस्त 1945**
- स्थान: **पॉट्सडैम (बर्लिन के पास), जर्मनी**
- नेता:
- हैरी ट्रूमैन (अमेरिका)
- जोसेफ स्टालिन (सोवियत संघ)
- विंस्टन चर्चिल/एटली (ब्रिटेन)
- द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई-अगस्त 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं के बीच पॉट्सडैम सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें पराजित जर्मनी के प्रशासन, उसके निरस्त्रीकरण, सीमाओं के पुनर्निर्धारण तथा यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था पर विचार किया गया। पोलैंड में शासन व्यवस्था और पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को लेकर महाशक्तियों के बीच मतभेद उभर आए। सोवियत संघ अपनी सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में अनुकूल सरकारें चाहता था, जबकि पश्चिमी राष्ट्र वहाँ स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर थे। इसी समय अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार संबंधी जानकारी गुप्त रखने से भी पारस्परिक

सभी हितधारकों के लिये लाभ की स्थिति पैदा की जा सके, और इसमें उपभोक्ताओं को भी शामिल रखा जाए जो कम बाधाओं और सामंजस्यपूर्ण मानकों से लाभान्वित होने की प्रवृत्ति रखते हैं।

- प्रौद्योगिकी का दोहन: जो देश प्रौद्योगिकी का दोहन करेंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रूपांतरणकारी प्रभाव के साथ भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हावी रहेंगे।
- जिस तरह 19वीं सदी में भाप इंजन और 20वीं सदी में कंप्यूटिंग पावर आर्थिक विकास का मुख्य संचालक रहे थे, 21वीं सदी में आर्थिक विकास के मुख्य चालक 'डेटा' होंगे।
- ईकॉमर्स- और वर्चुअल वर्ल्ड में तीव्र विकास कार्यबल से पूरी तरह से नए कौशल की माँग करेगा। इसलिये, आर्थिक नीतियों को श्रमिकों के लिये मज़बूत सुरक्षा जाल पर ध्यान देना चाहिये और परिवारों के लिये आय सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल एवं शैक्षिक सहायता की सुनिश्चितता पर केंद्रित होना चाहिये।
- विनिर्माण को पुनः आरंभ करने पर ध्यान देना: भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये उसकी दीर्घकालिक रणनीति का एक अंग यह होना चाहिये कि ऐसे पारितंत्र का निर्माण किया जाए जो मूल्यवर्द्धित विनिर्माण और प्रौद्योगिकीप्रेरित तैयार उत्पादों को- प्रोत्साहित करे।
- समावेशी दृष्टिकोण: सर्वाधिक कमज़ोर देशों की आवश्यताओं को संबोधित किया जाना आवश्यक है. उदाहरण के लिये, निर्यात प्रतिबंधों और क्षेत्रीय भंडार के निर्माण के संबंध में निर्धनतम देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशिष्ट छूट या सहायता देने जैसे उपाय किए जा सकते हैं।
- अनुकूल कारोबारी माहौल: बाज़ारों को खुला और अनुमेय बनाए रखने के साथ ही अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना नए सिरे से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा। यदि सभी देश मिलकर कार्य करें तो किसी एक देश की अकेली कार्रवाई की तुलना में पुनरुद्धार की गति अधिक तीव्र होगी।

निष्कर्ष

- तात्कालिक लक्ष्य महामारी को नियंत्रण में लाना और लोगों, कंपनियों और देशों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है। लेकिन नीतिनिर्माताओं को महामारी के बाद की योजना पर भी कार्य करना शुरू कर देना चाहिये।
- एक तीव्र और सुदृढ़ पुनरुद्धार संभव है। अभी लिये गए निर्णय पुनरुद्धार के भविष्य के स्वरूप और वैश्विक विकास संभावनाओं को निर्धारित करेंगे।
- हमें एक मज़बूत, संवहनीय और सामाजिक रूप से समावेशी आर्थिक पुनरुद्धार की नींव रखने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के साथसाथ - व्यापार भी एक महत्त्वपूर्ण घटक होगा।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एवं पर्यावरणीय मुद्दे:-

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है ?

संयुक्त राज्य रक्षा विभाग ने आतंकवाद को प्राय : राजनीतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अथवा समाज को अवपीड़ित या भयभीत करने हेतु व्यक्तियों अथवा संपत्ति के विरुद्ध बल अथवा हिंसा का गैरकानूनी अथवा धमकी भरे प्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।

I. आतंकवाद के प्रकार –

धार्मिक आतंकवाद- धार्मिक आदेशों और आवश्कताओं से प्रेरित आतंकवादी गतिविधियाँ धार्मिक आतंकवाद की श्रेणी में आती हैं।

विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद –

इसे सामान्यत : दो वर्गो में बांटा जा सकता है –

वामपथी आतंकवाद – यह विचारधारा विश्वास करती है पूँजीवाद समाज में मौजूदा सभी सामाजिक संबंध और राज्य की प्रकृति शोषणात्मक है। और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य है। जैसे – भारत और नेपाल में माओवादी गुट।

दक्षिणपंथी आतंकवाद – यह जातीय, नस्लीय या सांस्कृतिक श्रेष्ठता की विचारधारा पर आधारित होता है और प्रायः प्रवासियों, अल्पसंख्यकों या भिन्न पहचान वाले समूहों को निशाना बनाता है।

इसमें चरम राष्ट्रवाद, नस्लवाद और पहचान-आधारित हिंसा देखी जाती है।

जैसे – जर्मनी में नाजी पार्टी, इटली में फांसीवादी।

मानवजातीय-राष्ट्रवादी आतंकवाद – अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी उपराष्ट्रीय मानव जातीय समूह द्वारा जानबूझकर की गई हिंसा को मानव जातीय आतंकवाद कहा जा सकता है।

उदाहरण – श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूह इसके उदाहरण हैं।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद – इसका उपयोग राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र के विरुद्ध अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है।

उदाहरण – भारत, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की समस्या से परेशान है।

नारको आतंकवाद – यह आतंकवाद का प्रकार एवं आतंकवाद के साधन दोनों की श्रेणी में है।

उदाहरण – पाक की ISI एंजेसी समर्थित इस्लामी आतंकी गुटों द्वारा भारत में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में सही संलिप्त पाया गया है।

जैव आतंकवाद – किसी क्षेत्र की आबादी के विनाश के उद्देश्य से व्यापक पैमाने पर जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले रोगों को फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस या उसके विषाक्त पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीवों के रोगजनक उपभेदों का एक नियोजित एवं सुविचारित उपयोग है।

साइबर आतंकवाद – *यह आतंकवाद और साइबर स्पेस का संयोजन है अपने राजनीतिक अथवा सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए अथवा सरकार या लोगों को भयभीत अथवा पीड़ित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटरों नेटवर्क और इसमें संग्रहित सूचना के विरुद्ध गैर-कानूनी आक्रमण और आक्रमण की धमकी के अर्थ में समझा जा सकता है।*

आतंकवाद के कारण –

राजनैतिक कारण – *आतंकवाद को गैर राज्य सेना या समूह द्वारा संगठित राजनीतिक हिंसा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि उन्हें समाज का मौजूदा संगठन पसंद नहीं है और वे इसे बदलना चाहते हैं।*

सामरिक कारण – *कुछ आतंकी समूह अपने बड़े लक्ष्य के लिये एक रणनीति के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह मजबूत शक्तियों के विरुद्ध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आतंकवाद का उपयोग करते हैं।*

धार्मिक कारण – *कुछ कट्टरपंथी समूह धर्म की गलत व्याख्या कर आतंक की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।*

सामाजिक-आर्थिक कारण – *सामाजिक-आर्थिक वंचितता लोगों को आतंकवाद के प्रति सुभेद्य बनाती है।*
जैसे – गरीबी, शिक्षा का अभाव, आदि

विभिन्न आंतकवादी संगठन –

- *अफगानिस्तान में तालिबान*
- *अल-कायदा*
- *बब्बर खालसा इंटरनेशनल*
- *बोको हरम*
- *जेश-ए-मोहम्मद*
- *जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट*
- *नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (असम)*

आतंकवाद को रोकने के लिए किये गये वैश्विक प्रयास-

- *FATF (Financial action task Force) - यह वैश्विक धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी रखने वाला निकाय है।*
- *इसके कुल 37 सदस्य है। जिसमें भारत भी शामिल है।*
- *इसके लिए दो सूचियाँ जारी की जाती है –*
- *ब्लैक लिस्ट – उत्तर कोरिया, ईरान (उच्च जोखिम वाले देश)*
- *ग्रे लिस्ट – जैसे – पाकिस्तान (बढ़ी हुई निगरानी वाले देश)*
- ***Note*** *:- हाल ही में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है।*
- *आतंकवाद रोकथाम हेतु 2011 में Global counter Terrorism forum स्थापित की गई।*
- *united nations secarity council resolution 1267*
- *हाल ही में वियना में पहली Global Parliamentary Summit on Counter-Terrorism संपन्न हुई।*

आतंकवाद रोकथाम हेतु भारत द्वारा किये गये प्रयास –

- ***राष्ट्रीय स्तर पर –***
- *राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (NIA) की स्थापना।*
- *नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID)*
- *राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)*
- *गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA)*
- *धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, (PMLA)2002 लेकिन इसे* ***। जुलाई 2005*** *से प्रभावी बनाया गया।*
- *फाइव पाइंट फार्मुला*

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर – *भारत में निम्नलिखित के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक अंतर सरकारी ढाँचे के अंगीकरण को प्राथमिकता दी है –*

- *CCIT (Comprehensive Convention on international terrorism) का प्रस्ताव भारत द्वारा पेश किया गया।*
- *us – india होमलैण्ड सिक्योरिटी डायलॉग*
- *FATF के साथ मिलकर आतंकी वित्त पोषण से मुकाबला*
- *ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति*
- *आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने पर शंघाई कन्वेंशन।*

गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) – *2019 में संशोधन जिसके तहत् –*

- *एकल व्यक्ति को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति सरकार को सौंप दी है। (पहले केवल संगठन को घोषित करने की शक्ति थी)*
- *जाँच NIA के द्वारा की जाएगी तथा आतंकवाद से जुड़ी सम्पत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होगी।*
- *(पहले पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति आवश्यक थी)*
- *मामलों की जाँच के लिये इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा।*

पूर्व परीक्षा में पूछे गये प्रश्न एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. *ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को स्पष्ट करें। (RAS Mains – 2018)*
2. *शीत युद्ध क्या है ? इसके उदय के कारणों को समझाइये।*
3. *ट्रूमैन सिद्धांत को समझाइये।*
4. *यू.एस.ए. और सोवियत संघ के मध्य चले शीत युद्ध में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए।*
5. *विश्व राजनीति में USA के वर्चस्व को स्पष्ट कीजिए।*
6. *आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए।*
7. *गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) पर टिप्पणी कीजिए।*
8. *परमाणु अप्रसार संधि क्या है ? समझाइये।*
9. *शीत युद्ध के उद्विकास की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए।*
10. *पांट्समैन सम्मेलन पर टिप्पणी कीजिए।*

क्षमता निर्माण और शिक्षा: ISA की **'ISA अकादमी'** एक **AI-आधारित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म** है, जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा से संबंधित कौशल और ज्ञान को मज़बूत करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की **'स्टार-सी' (STAR-C - Solar Technology and Application Resource Centre)** पहल सौर कौशल विकास और क्षमता निर्माण में निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है:

प्रशिक्षण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण: इस पहल का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों में, सौर ऊर्जा परिवर्तन को संभालने के लिए आवश्यक **संस्थागत क्षमता और मानव कौशल** का निर्माण करना है। यह सौर कार्यबल को सक्षम बनाने और नीति निर्माताओं व वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाने का कार्य करती है।

प्रशिक्षण नेटवर्क और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान: STAR-C तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता और अनुसंधान केंद्रों का एक नेटवर्क बनाता है। इसके माध्यम से सदस्य देशों के बीच **सर्वोत्तम प्रथाओं (best practices)** और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया जाता है।

मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम: यह विभिन्न प्रकार के दर्शकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित करता है और सदस्य देशों में **प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकीकरण (harmonization)** पर जोर देता है, ताकि वैश्विक स्तर पर कौशल की गुणवत्ता समान रहे।

गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण: यह केंद्र सौर उपकरणों और अनुप्रयोगों के लिए क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय स्तर पर **मानकीकरण, परीक्षण और तकनीकी प्रमाणन** की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

उद्यमिता और इन्क्यूबेशन: STAR-C स्थानीय सौर व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमों के **इन्क्यूबेशन** में मदद करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक विकास को गति मिलती है।

ज्ञान प्रबंधन केंद्र: यह एक ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है जो सौर डेवलपर्स और निर्णय लेने वाले संस्थानों को सौर ऊर्जा डेटा, दिशानिर्देश, विश्लेषणात्मक उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ISA का लक्ष्य **2030 तक 50 स्टार-सी केंद्र** स्थापित करना है, जो सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों (SDG 7 और SDG 13) को प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।

अध्याय – 4

भारत की विदेश नीति में समकालीन रणनीतिक उपक्रम

भारत की समकालीन विदेश नीति 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) और व्यावहारिक यथार्थवाद पर आधारित है, जो 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ बनने, पड़ोस प्रथम (Neighborhood First) नीति, क्वाड (Quad) व I2U2 जैसे लघुपक्षीय (Mini-lateral) समूहों के माध्यम से चीन को संतुलित करने तथा रक्षा व तकनीक (जैसे फ्रांस के साथ रक्षा समझौते) में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। यह नीति गुटनिरपेक्षता से हटकर 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment) की ओर बढ़ी है।

प्रमुख समकालीन रणनीतिक उपक्रम

बहु-संरेखित नीति (Multi-alignment): भारत ने गुटनिरपेक्षता के बजाय बहु-संरेखण की नीति अपनाई है, जिसके तहत वह अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड (Quad) और ब्रिक्स (BRICS/SCO) दोनों में सक्रिय है। भारतीय विदेश नीति में **'बहु-संरेखण' (Multi-alignment)** का सिद्धांत:

1. **भारत की बदलती विदेश नीति**

रणनीतिक विकास: 2000 के बाद से, भारत की विदेश नीति 'नैतिक आदर्शवाद' से हटकर **'रणनीतिक व्यावहारिकता'** की ओर बढ़ी है। भारत ने पारंपरिक 'गुटनिरपेक्षता' के स्थान पर **'बहु-संरेखण' (Multi-alignment)** को अपनाया है, जिससे वह अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकता है।

ग्लोबल साउथ की आवाज़: भारत ने खुद को **"विश्वमित्र"** और **"ग्लोबल साउथ की आवाज़"** के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। यह नेतृत्व भौतिक प्रभुत्व के बजाय गठबंधन निर्माण और नैतिक वैधता पर आधारित है।

2. **संस्थागत और राजनयिक मंच (G20 और BRICS)**

G20 अध्यक्षता (2023): "वसुधैव कुटुंबकम" के विषय के तहत, भारत ने समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि **अफ्रीकी संघ** को G20 का स्थायी सदस्य बनाना था।

BRICS: भारत ने BRICS का उपयोग पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों के विकल्प के रूप में और दक्षिण-दक्षिण सहयोग (जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक) को बढ़ावा देने के लिए किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुधार: भारत सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट के लिए लगातार वकालत कर रहा है, जिसे वह ग्लोबल साउथ के उचित प्रतिनिधित्व के रूप में देखता है।

3. **स्वास्थ्य और वैक्सीन कूटनीति (Vaccine Maitri)**

वैक्सीन मैत्री: महामारी के दौरान भारत ने 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में अपनी भूमिका निभाई। भारत ने लगभग **94 देशों को 242 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक** की आपूर्ति की [Table 1, 35, 36]।

मानवीय दृष्टिकोण: यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी थी, बल्कि इसने भारत की छवि एक जिम्मेदार और उदार वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत की।

4. **विकास वित्त और दक्षिण-दक्षिण सहयोग**

विकास साझेदारी: 2004 से 2024 के बीच, भारत ने 65 से अधिक देशों को **$30 बिलियन से अधिक की ऋण रेखाएं (Lines of Credit)** प्रदान की हैं।

अफ्रीका और एशिया पर ध्यान: भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और 'पड़ोसी प्रथम' नीति के माध्यम से रेलवे, बिजली संयंत्र और जल प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया गया है।

ITEC कार्यक्रम: तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पश्चिमी सहायता मॉडल के विपरीत 'साझेदारी' पर आधारित है।

5. **तकनीकी कूटनीति (AI और डेटा गवर्नेंस)**

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): आधार (Aadhaar) और UPI जैसे सफल मॉडलों के साथ, भारत डिजिटल क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बन गया है।

AI और डेटा सुरक्षा: भारत **'इंडियाएआई मिशन' (IndiaAI Mission)** के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रहा है और 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (2023)' के माध्यम से डेटा संप्रभुता सुनिश्चित कर रहा है।

वैश्विक मानक: भारत G20 और BRICS जैसे मंचों पर AI नैतिकता और डेटा गवर्नेंस के लिए न्यायसंगत नियम बनाने की वकालत कर रहा है।

6. **'पड़ोसी प्रथम' नीति (Neighborhood First Policy - NFP)**

उपलब्धियां:

श्रीलंका को संकट के समय $4 बिलियन की सहायता।

भूटान और मालदीव को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध कराना।

नेपाल-भारत-बांग्लादेश के बीच ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और कनेक्टिविटी परियोजनाओं (जैसे मोंगला बंदरगाह) का सफल क्रियान्वयन।

चुनौतियां:

हस्तक्षेप की धारणा: पड़ोसियों द्वारा भारत को घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला माना जाना (उदा. 2015 नेपाल नाकाबंदी)।

'इंडिया आउट' अभियान: मालदीव जैसे देशों में राजनीतिक कारणों से भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना।

चीन का कारक: चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) परियोजनाओं की गति और वित्तीय संसाधन भारत के लिए बड़ी चुनौती हैं।

देरी: कालादान जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी से भारत की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।

7. **भविष्य का मार्ग: पड़ोसी प्रथम 2.0**

महल कूटनीति से जन कूटनीति: केवल सत्तासीन नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय नागरिक समाज और युवाओं (Gen Z) के साथ जुड़ना आवश्यक है।

असममित रियायतें (गुजराल सिद्धांत): भारत को अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के आधार पर छोटे पड़ोसियों को अधिक लाभ देने चाहिए।

डिजिटल निर्यात: पड़ोसियों को **"इंडिया स्टैक" (UPI, ONDC)** निर्यात कर एक साझा डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।

बहु-संरेखण (Multi-alignment)

परिभाषा: यह एक लचीली और व्यावहारिक कूटनीतिक रणनीति है जिसमें भारत किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय एक साथ कई वैश्विक शक्तियों और समूहों के साथ साझेदारी करता है।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करना, रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) बनाए रखना और वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देना है।

परिवर्तन: यह शीत युद्धकालीन 'गुटनिरपेक्षता' (Non-alignment) की निष्क्रिय नीति से एक 'सक्रिय' और 'हित-आधारित' नीति की ओर बदलाव को दर्शाता है।

<u>गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण की ओर संक्रमण</u>

गुटनिरपेक्षता (NAM): शीत युद्ध के दौरान भारत ने दो महाशक्तियों (अमेरिका और सोवियत संघ) से समान दूरी बनाए रखी ताकि अपनी स्वतंत्रता और घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

बहु-संरेखण का उदय: 21वीं सदी के प्रारंभ में, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने "संतुलनकारी शक्ति" (Balancing Power) से "अग्रणी शक्ति" (Leading Power) बनने की आकांक्षा के साथ इस नीति को सुदृढ़ किया।

जयशंकर-मोदी डॉक्ट्रिन: विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पीएम मोदी द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत वैश्विक मामलों में भारत की सक्रिय भागीदारी और व्यावहारिक कूटनीति पर जोर देता है।

बहु-संरेखण को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक

स्रोत बताते हैं कि यह सिद्धांत तीन मुख्य कारकों से आकार लेता है: